जिला राहत कोष ऊना हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान समीक्षा के उपरान्त पैरों की स्थिति निम्नानुसार है।

(क) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 11/1973 से 3/1988

1	पैरा 3(ए)	अनिर्णीत	
2	पैरा 3(बी)	अनिर्णीत	
3	पैरा 5(2)	अनिर्णीत	
4	पैरा 5(4)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7(2)	अंशतः निर्णीत	(₹2300 बारे कार्रवाई अपेक्षित है।)
6	पैरा 7(4)	अनिर्णीत	
7	पैरा 8(1)	अनिर्णीत	

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1988 से 3/1995

1	पैरा 4(क)	अनिर्णीत
2	पैरा 6(1)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1995 से 3/1997

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2002 से 3/2004

1	पैरा 6	अनिर्णीत
2	पैरा 7	अनिर्णीत

(ड़) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2004 से 3/2007

1	पैरा 5	अनिर्णीत
2	पैरा 6	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा 4(i)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
2	पैरा 4(ii)	निर्णीत	(आय पक्ष में प्रविष्टि दर्ज करने की सत्यापना के उपरान्त)

3	पैरा 4(iii)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
4	पैरा 5(क)	अनिर्णीत	
5	पैरा 5(ख)	निर्णीत	(स्वतः निर्णीत)
6	पैरा 6(i)	अनिर्णीत	
7	पैरा 6(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 7	निर्णीत	(पावती की सत्यापना के उपरान्त)
9	पैरा 8	अनिर्णीत	
10	पैरा 9	निर्णीत	(अनुपालना की सत्यापना के उपरान्त)

भाग दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

(क) जिला राहत कोष ऊना के अवधि 4/2010 से 3/2015 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए हैं, श्री राज कुमार अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 11.9.2015 से 14.9.2015 के दौरान ऊना में किया गया। अंकेक्षण की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया।

आयः 3/2011, 10/2011, 9/2012 व 4/2013

व्ययः 7/2010, 10/2011, 5/2012 व 3/2015

(ख) **अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित नियन्त्रण अधिकारी जिला राहत कोष ऊना के आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे।**

क्रम संख्या	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	अवधि
1	श्री आर0बी0 थापा	1.4.2010 से 30.6.2010
2	श्री प्रदीप कुमार ठाकुर	1.7.2010 से 27.7.2010
3	श्री आर0पी0 शांडिल्य	28.7.2010 से 25.6.2012
4	श्री जीया लाल कानन	2.7.2012 से 7.7.2012
5	श्री मदन लाल	11.7.2012 से 5.9.2012
6	श्री बलवान चन्द	6.9.2012 से 26.3.2013
7	श्री धनतीर सिंह ठाकुर	26.3.2013 से 4.4.2013
8	श्री कर्म सिंह	5.4.2013 से 31.5.2013
9	श्री एस0के पराशर	1.6.2013 से 26.2.2014

10	श्री संजीव कुमार	3.4.2014 से 22.9.2014
11	श्री राम प्रसाद	22.9.2014 से 16.12.2014
12	श्री विशाल शर्मा	19.12.2014 से 2.1.2015
13	कुमारी चेतना खडवाल	5.1.2015 से 31.3.2015

(ग) यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जिला राहत कोष ऊना के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्क

जिला राहत कोष ऊना के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹3600 आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 66, दिनांक 11.9.2015 द्वारा जिलाधीश महोदय से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(क) जिला राहत कोष ऊना द्वारा प्रस्तुत संस्था के अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है।

वित्तीय स्थिति अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010–11	89347	55360	1828	146535	81670	64865
2011–12	64865	96110	5112	166087	120315	45772
2012–13	45772	33210	2086	81068	62920	18148
2013–14	18148	4000	2463	24611	–	24611
2014–15	24611	–	1734	26345	1000	25345

अन्तिम शेष विवरण

दिनांक 31.3.2015 को के0सी0सी0वी0 ऊना के बचत खाता संख्याः 20013012219 में जमा शेष राशि	**24145**
अन्तर	**1200**

(ख) अन्तर का कारण

उपरोक्त अन्तर की ₹1200 के सन्दर्भ में रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि यह अन्तर निम्नलिखित कारणों से था।

(i)	रोकड़ बही में दिनांक 16.7.2010 को अन्तिम शेष की ₹65385 के स्थान पर दिनांक 26.7.2010 को आरम्भिक शेष के रूप में ₹63385 ली गई	(+) 2000
(ii)	रोकड़ बही मे दिनांक 3.9.2010 को अन्तिम शेष की ₹36615 के स्थान पर दिनांक 4.9.2010 को आरम्भिक शेष के रूप ₹37615 ली गई	(–) 1000
(iii)	दिनांक 23.6.2011 को व्यय पक्ष का वास्तविक योग ₹1700 के स्थान पर ₹1900 दर्शाया गया।	(+) 200
	कुल योग (2000 – 1000 + 200)	**₹1200**

इस प्रकार रोकड़ बही में दिनांक 16.7.2010 के अन्तिम शेष की ₹65,385 को आगामी तिथि 26.7.210 के आरम्भिक शेष ₹63385 के रूप में लिए जाने के कारण (₹65,385–₹63,385=₹2000) का कम शेष उठाया गया है व दिनांक 3.9.2010 के अन्तिम शेष की ₹36,615 के स्थान पर दिनांक 4.9.2010 को आरम्भिक शेष की ₹37,615 लेने के कारण (₹37,615–₹36,615=₹1000) का अधिक शेष उठाया गया है। फलस्वरूप रोकड़ बही में ₹2000 कम व ₹1000 का अधिक शेष दर्शाकर ₹1000 का कम शेष दर्शाया गया है। अतः उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि जिला राहत कोष खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि दिनांक 23.6.2011 को व्यय पक्ष का वास्तविक योग ₹1700 के स्थान पर योग ₹1900 दर्शाकर ₹200 का अधिक व्यय किया गया दर्शाया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र स	दिनांक	वाऊचर संख्या	चैक संख्या	नाम	राशि
1	23.6.2011	33	794773	श्रीमती रूकमणी देवी	200
2	23.6.2011	34	794774	श्री गुरमेल सिंह	500
3	23.6.2011	35	794775	श्री सोहन सिंह	1000
				कुल योग	**1700**
				दर्शाया गया योग	**1900**
				अधिक दर्शाया गया योग	**200**

अतः वास्तविक योग ₹1700 के स्थानपर ₹1900 दर्शाकर ₹200 का अधिक व्यय दर्शाने हेतु ₹200 की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त यह राशि सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 रोकड़ बही का बैंक पास बुक से मिलान न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 1.4.2010 से 31.3.2015 के दौरान जिला राहत कोष की रोकड़ बही का बैंक बचत खाते से मिलान नहीं किया गया है, जबकि रोकड़ बही व बैंक पास बुक का प्रत्येक माह के अन्त में मिलान करके बैंक समाधान विवरणी तैयार करनी अनिवार्य होती है। अतः उक्त अवधि के दौरान रोकड़ बही का बैंक बचत खाते से मिलान न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक माह के अन्त में बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बही में ₹6197 दर्ज न करना

जाँच के दौरान पाया गया कि जिला राहत कोष के बचत/खाता संख्याः 20013012219 में दिनांक 24.7.2013 को जमा करवाई गई आय की ₹2000 व दिनांक 31.8.2013 से 28.2.2015 हेतु बैंक द्वारा दी गई ब्याज की ₹4197 अर्थात कुल ₹6197 को रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया है, अपितु रोकड़ बही में दिनांक 2.4.2013 के उपरान्त दिनांक 23.3.2015 को ही प्रविष्टि दर्ज की गई है तथा बीच की अवधि की प्रविष्टियाँ दर्ज न करके आधी–अधूरी रोकड़ बही लिखी गई है। इस प्रकार रोकड़ बही के आय पक्ष में आय एवं ब्याज की प्रविष्टियाँ दर्ज न करना एक वित्तीय अनियमितता है एवं लेखांकन निमयों के विपरीत है। अतः उक्त अवधि में प्राप्त आय एवं ब्याज की प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अविलम्ब उक्त प्रविष्टियाँ सक्षम प्राधिकारी के अधिप्रमाणन सहित रोकड़ बही में दर्ज की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। रोकड़ बही में दर्ज न की गई प्रविष्टियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्रम संख्या	दिनांक	राशि	विवरण
1	24.7.2013	2000	जमा करवाई गई राशि
2	31.8.2013	1210	ब्याज स्वरूप प्राप्त की गई राशि
3	28.2.2014	1253	ब्याज स्वरूप प्राप्त की गई राशि
4	31.8.2014	1245	ब्याज स्वरूप प्राप्त की गई राशि
5	28.2.15	489	ब्याज स्वरूप प्राप्त की गई राशि
	कुल योग	**₹6197**	

7 विभिन्न संस्थाओं/विभागों से रसीदों/कूपनों की बिक्री से प्राप्त ₹41040 की वसूली न करना

कूपन रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि जिला राहत कोष ऊना द्वारा जिलाधीश ऊना के पत्र संख्याः 764–786/डी0एन दिनांक 17.8.2010 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों/संस्थाओं को निम्नविवरणानुसार रसीदें/कूपन बिक्री हेतु जारी किए गए थे, लेकिन इन रसीदों/कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय को दिनांक 31.3.2015 तक जिला राहत कोष में जमा नहीं करवाया गया और न ही इन रसीदों/कूपनों को वापिस लौटाया गया है। इस प्रकार रसीदों/कूपनों की बिक्री से प्राप्त आय को जिला राहत कोष में जमा न करवाना तथा बिक्री हेतु भेजे गए रसीदों/कूपनों को वापिस प्राप्त न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्बन्धित विभागाध्यक्षों/संस्थाध्यक्षों से इन रसीदों/कूपनों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि प्राप्त करने हेतु वांछित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	विभाग/संस्था का नाम	रसीद/कूपन नम्बर	रसीदों/कूपनों की संख्या	दर	राशि जिसकी वसूली की जानी शेष है
1	सी0एम0ओ0 ऊना	001 से 200	200	20	4000
		001 से 400	400	10	4000
				योग	**8000**
2	एस0डी0ओ0 (नागरिक)	101 से 200	100	50	5000
3	जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, ऊना	301 से 400	100	50	5000
4	कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ऊना	638 से 700	63	20	1260
		801 से 900	100	10	1000
		941 से 1000	60	10	600
		1083 से 1100	18	10	180
				योग	**3040**
5	तहसीलदार, हरोली	1101 से 1300	200	50	10000
6	वी0डी0ओ0 ऊना	1401 से 1500	100	50	5000
		1401 से 1500	100	20	2000
		1501 से 1800	300	10	3000
				योग	**10000**
		क्रम संख्या 1 से 6 तक का कुल योग			**₹41040**

8 मुख्यमंत्री राहत कोष में ₹80,770 का अंशदान देने बारे

जाँच के दौरान पाया गया कि सामान्य प्रशासन शिमला को निम्नविवरणानुसार 50% राशि का मुख्यमंत्री राहत कोष हेतु बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अंशदान भेजा गया है।

क्रम संख्या	दिनांक	बैंक ड्राफ्ट संख्या	अंशदान के रूप में भेजी गई राशि
1	17.10.2011	9,52,627	27,580
2	18.11.2011	9,52,645	12,170
3	6.8.2014	4,67,395	41,020
		कुल योग	**80,770**

उपरोक्त उल्लेखित अंशदान के रूप में भेजी गई राशि के समर्थन में सम्बन्धित विभाग से पावती प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अतः सम्बन्धित विभाग से अपेक्षित पावती प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 **लघु आपति विवरणिका :–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

10 **निष्कष :–** लेखों के रख–रखाव मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्ष विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच–2(सी)(15)(14)125/88–खण्ड–1–1473–1474, दिनांकः27.02.16 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत 1. जिलाधीश ऊना, जिला ऊना हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–171002

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्ष विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009